न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4540/2005/धौलपुर

1— भूदेवी विधवा पत्नी रामसिंह

2— गुमान सिंह पुत्र रामसिंह

3— राजेन्द्र पुत्र रामसिंह

4— गोपाल पुत्र रामसिंह

5— श्रीकांत पुत्र रामसिंह

जाति गोलापूरब, निवासी ग्राम सांडा, तहसील व जिला धौलपुर।

6— हरभेजी पत्नी श्रीनिवास, निवासी ग्राम मालौनी खुर्द, तहसील सैपऊ।

7— रामवती पत्नी रामशरन, निवासी ग्राम कुसैता, तहसील खेरागढ़।

—अपीलांटस

बनाम

1— तेजसिंह पुत्र रतनसिंह मृतक जरिए वारिसानः—

1/1— कम्मोद सिंह पुत्र तेजसिंह

1/2— होतमसिंह पुत्र तेजसिंह

जाति गोलापूरब निवासी सांडा, तहसील व जिला धौलपुर।

2— रामेश्वर पुत्र रतनसिंह मृतक जरिए वारिसानः—

2/1— सुरेन्द्र पुत्र रामेश्वर

2/2— नीरज पुत्र रामेश्वर

2/3— गुड्डी पुत्री रामेश्वर

2/4— आशा पुत्री रामेश्वर

2/5— भूदेवी बेवा रामेश्वर

समस्त जाति गोला पूरब, निवासी सांडा, तहसील व जिला धौलपुर।

3— ज्योतिप्रसाद पुत्र हुकम सिंह मृतक जरिए वारिसानः—

3/1— प्रतापसिंह पुत्र ज्योतिप्रसाद मृतक जरिए वारिसानः—

3/1/1— नीलम बेवा प्रतापसिंह

3/1/2— पारस पुत्र प्रतापसिंह

3/1/3— याचना पुत्री प्रतापसिंह

3/1/4— पुनीत पुत्र प्रतापसिंह

क्रम संख्या 2 से 4 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता नीलम पत्नी प्रतापसिंह

समस्त जाति त्यागी, निवासीगण सांडा, तहसील व जिला धौलपुर।

3/2– विमला पुत्री ज्योतिप्रसाद मृतक जरिए वारिसानः–

3/2/1– सतीश पुत्र दामोदर जाति त्यागी निवासी गांगोलीहार, तहसील जौरा, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

3/2/2– भूपेन्द्र पुत्र दामोदर, जाति त्यागी, निवासी गांगोलीहार, तहसील जौरा, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

3/2/3– मंजू पुत्री दामोदर, जाति त्यागी, निवासी गांगोलीहार, तहसील जौरा, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

3/2/4– सुमन पुत्री दामोदर पत्नी श्रीकांत निवासी सबलगढ़, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

3/2/5– उमा पुत्री दामोदर पत्नी कालीचरन, निवासी सकतपुर, तहसील जौरा, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

3/2/6– मनोरमा पुत्री दामोदर पत्नी प्रदीप निवासी करौरी, तहसील जौरा, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

4– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, धौलपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री विकास पाराशर, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री गौरव दवे एवं अजयपाल डिढ़ारिया, अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः– 03.07.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या 44/01 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस व शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के समक्ष पेश कर कथन किया कि हाल खसरा संख्या 8 व

9 वाकै ग्राम सांडा तहसील धौलपुर में स्थित है । खसरा संख्या 9 गत खसरा संख्या 187 व खसरा संख्या 8 गत खसरा संख्या 184, 185 का भाग है। खसरा संख्या 9 वादीगण तेजसिंह, रामेश्वर, घूरे और मुन्ना जी की खातेदारी में था जिनके मध्य दिनांक 21.10.77 को विभाजन होकर खसरा संख्या 9 वादीगण के हिस्से में आया जब से तन्हा खातेदार काश्तकार है जिसका नया रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा संख्या 8 का रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के खातेदार प्रतिवादी है, किन्तु बंदोबस्त् के दौरान साबिक आराजी संख्या 187/2 का 10 बिस्वा रकबा प्रतिवादी ने अपने खाते में मिला लिया । अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया तथा वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–03–2001 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–08–2005 द्वारा स्वीकार कर लिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खसरा संख्या 8 जो कि गत खसरा संख्या 184, 185 व 187 मिन से बना है उसके खातेदार अपीलांटस है व विपक्षीगण ने अपने दावे में केवल मात्र खसरा संख्या 9 बाबत् खातेदारी घोषणा चाही है किन्तु अपीलीय न्यायालय ने खसरा संख्या 8 की 2 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 9 की 3 बीघा 2 बिस्वा का विपक्षीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश पारित किए जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि हाल खसरा संख्या 9

का रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा है तथा कब्जा भी वादीगण का इतने ही रकबे पर है। जिसे स्वयं पी0डब्ल्यू0 1 ने अपने बयान में स्वीकार किया है व खसरा संख्या 9 व 10 साबिक खसरा संख्या 187 से बना है तथा साबिक खसरा संख्या 187/1/4 रकबा 4 बीघा जवाली पुत्र धनपाल की गैर खातेदारी में है व खसरा संख्या 187/2 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा घूरेलाल की खातेदारी में है तथा खसरा संख्या 187/3 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा जवाली की खातेदारी में है तथा 187/5 रकबा 5 बिस्वा एवं 187/6 रकबा 8 बिस्वा मिलकियत सरकार अंकित है। इस प्रकार दस्तावेजात से कतई यह साबित नहीं है कि वादीगण बंदोबस्त् के पूर्व कितने रकबे के खातेदार थे व हाल खसरा संख्या 9 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व 187 मिन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा से हाल खसरा संख्या 10 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा बना है। अतः वादीगण की स्थिति कतई स्पष्ट नहीं होने के कारण हाल खसरा संख्या 8 में 10 बिस्वा भूमि जो खसरा संख्या 187 मिन की है, कतई वादीगण की होनी स्पष्ट नहीं है व कमिश्नर रिपोर्ट से भी वादीगण का वाद साबित नहीं होता है किन्तु अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 लगायत 5 का निर्णय जो कि वादीगण के विरूद्ध किया गया था उसे बिना किसी आधार के निरस्त कर विपक्षीगण की अपील स्वीकार किए जाने में त्रुटि कारित की हैं। अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर नहीं किया कि ना तो वादीगण ने गत खसरा संख्या 187 के अन्य खातेदार जवाली, घूरेलाल आदि को पक्षकार बनाया है, जबकि गत साबिक खसरा संख्या 187 में उनकी खातेदारी दर्ज है। अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2005 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2001 को यथावत् रखा जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे कथन किया कि राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गत खसरा संख्या 187/2 रेस्पो0 की खातेदारी तथा गत खसरा संख्या 187/1, 187/3 व 187/4 जवाली नामक व्यक्ति के खाते में थे जिसका रकबा उसे बंदोबस्त् से प्राप्त हो चुका है

तथा 187 का शेष रकबा सरकार के खाते में दर्ज हुआ तथा शेष रकबा वादीगण/रेस्पो0 का था। इस शेष रकबे से ही 10 बिस्वा रकबा प्रतिवादी के खाते में बंदोबस्त् द्वारा प्रदान किया गया जो बिना क्षेत्राधिकार के प्रदान किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय साबिक रिकार्ड में दर्ज आराजी के रकबे को बंदोबस्त् द्वारा दर्ज रकबे से बिना मिलान किए गलत विवेचन कर निर्णय पारित किया गया था, जिसे निरस्त कर अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

8— विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 एक्जी. पी. 1 के अनुसार खसरा नंबर 9 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार वादी तेजसिंह, रामेश्वर पि0 रतनसिंह दर्ज है । मिलान क्षैत्रफल एक्जी. पी. 5 के अनुसार खसरा नंबर 9 साबिक खसरा नंबर 187 मीन से बनना प्रमाणित है । एक्जी.पी. 6 मिलान क्षेत्रफल से खसरा नंबर 8 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा गत खसरा नंबर 184 मीन, 185 मीन व 187 मीन से बनना प्रमाणित है । फोटो प्रति खतौनी जमाबंदी संवत् 2028 के अनुसार खसरा नंबर 8 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि जोतीप्रसाद व रामसिंह पि0 हुक्मसिंह, जाति गोला के नाम सा0देह हिस्सा बराबर खातेदार अंकित है । नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 13.10.1995 के अनुसार खसरा नंबर 8 व 9 के मध्य ए से डी मेड़ पाई गई है । इसके अलावा बी. से सी. और डी. से ई. मेड़ जो नक्शा किस्तवार में है, मौके पर नहीं है । राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज खसरा नंबर और रकबा की स्थिति का साबिक नंबर एवं हाल नंबर और पुरानी जमाबंदी के आधार पर विचेचन नहीं करते हुए महज वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 के आधार और नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 13.10.1995 के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया है जो राजस्व रिकॉर्ड के परिपेक्ष्य में उचित नहीं है । राजस्व रिकॉर्ड के परिपेक्ष्य में वस्तुतः इस प्रकरण में मुताबिक जमाबंदी वादीगण के खाते में खसरा नंबर 9 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा तथा प्रतिवादीगण के खाते में खसरा संख्या 8 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा अंकित है । राजस्व नक्शे में दोनों का रकबा पृथक–पृथक है किन्तु उनके मध्य कोई मेड़ अंकित नहीं है । तहसीलदार की

मौका रिपोर्ट में ए. से डी. मेड़ का अंकन किया गया है जो राजस्व नक्शे के विरूद्ध प्रतीत होती है । ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि दोनों वादीगण एंव प्रवितादीगण के खाते में दर्ज भूमि का मुस्तकिल पोइन्ट से नाप–चौप करवाते तथा किसके खाते में कितना रकबा आ रहा है और वो उनके खाते में दर्ज रकबे से मिलान करता है अथवा नहीं इसकी स्पष्टता राजस्व अपील प्राधिकारी को करनी चाहिये थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है । चूंकि पक्षकारान के मध्य विवाद नक्शे में रकबा कम ज्यादा होने को लेकर है, जिसकी प्रमाणिकता मुस्तकिल पोइन्ट से सीमाज्ञान एवं वर्तमान दोनों खसरा नंबरों के साबिक खसरा नंबरान जिनसे वर्तमान खसरा बने है, के पुराने व नए नक्शा ट्रेस को सुपर इम्पोज कराकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है । प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किए गए है जिन्हें विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

11– परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2001 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि मुस्तकिल पोइन्ट से सीमाज्ञान एवं वर्तमान दोनों खसरा नंबरों के साबिक खसरा नंबरान जिनसे वर्तमान खसरा बने है, के पुराने व नए नक्शा ट्रेस को सुपर इम्पोज कराकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए, उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष